न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

प्र0 सं0 164/2022 (जी.सी.एम.एस. 2022/396)

पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. मुरारीलाल
2. सोहनलाल
3. श्यामकिशोर
4. नेमीचन्द

पुत्रगण बुद्धि जाति माली नि0 ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग

—सायलान

बनाम

1. राजू पुत्र गोविन्दा
2. मोहनप्यारी पत्नी गोविन्दा
3. साहव सिंह पुत्र गोविन्दा
4. कान्हा पुत्र गोविन्दा
5. भूरा पुत्र गोविन्दा
6. सचिन पुत्र गोविन्दा
7. लीला पुत्री गोविन्दा
8. सीमा पुत्री गोविन्दा
9. कीर्ति पुत्री गोविन्दा

जातियान जादों ठाकुर नि0खेरिया पुरोहित तहसील डीग

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212(2) आर.टी.एक्ट.

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

निर्णय

दिनांकः 29.08.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 551/758/0.31, वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग में स्थित है। आराजी पर गैर सायलान मोहनप्यारी पत्नी गोविन्दा,राजू, साहव सिंह,कान्हा पुत्रगण गोविन्दा जाति जादों ठाकुर नि0खेरिया पुरोहित तहसील डीग द्वारा एवं गोविन्दा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.04.2017 को जबरन कब्जा करने पर सायलान ने एक मुकदमा व उनवानी शीर्षक मुरारीलाल बनाम गोविन्द राजस्व वाद प्रकरण संख्या 92/17 दिनांक 09.05.2017 को पेश किया गया। हाल आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 स्थित ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग की आराजी प्रार्थी एवं उसके

Ravi

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर व नेमीचन्द पुत्रगण बुद्वि के सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी सायल एवं सायल के भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर, नेमचन्द को जरिये विरासतन उनके पिता बुद्वि से प्राप्त हुई थी और तभी से उक्त आराजी पर सायल व उसके भाईयों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी का ग्राम खेरिया पुरोहित में एक ही परिवार निवास करता है। गैर सायलान ने जबरन बिना किसी अधिकार के लट्ठ व ताकत के बल पर निर्माण सामग्री डालकर जबरन कब्जा किये जाने की धमकी देकर खसरा नम्बर 551/758/0.31की आराजी को अपने अधिकार क्षेत्र में नाजायज तरीके से लेकर जबरन कब्जा कर लिया। गैर सायलान के पति व पिता ने उक्त आराजी पर एक दावा व उनवानी शीर्षक गोविन्द बनाम रम्भूली के विरूद्व मु0नम्बर 340/2002, पेश किया गया जोकि न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 20.01.2003 को खारिज कर दिया तथा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री के विरूद्व के विरूद्व एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील संख्या 53/2003 पेश की गई। जोकि दिनांक 16.06.2012 को खारिज हो गई। वर्णित आराजी खसरा नम्बर पर गैर सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी से गैर सायलान का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त आराजी साविक रिकार्ड में सायल के पिता बुद्वि के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजी का पुराना नम्बर 466 क्षेत्रफल 5 वीघा 4 विस्वा का था जोकि सायल के पिता बुद्वि के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी और उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 466 से खसरा नम्बर 551/758/0.31 व अन्य आराजी बनी है। सायलान के पिता बुद्वि का स्वर्गवास होने पर उक्त आराजी सायल व उसके भाईयों के नाम वाहिस्सा बरावर 1/4—1/4 विरासतन प्राप्त हुई है।गैर सायलान बिना किसी अधिकार के सायलान को उक्त भूमि में काश्त नहीं करने दे रहे है। वर्णित आराजी के सम्बन्ध में कब्जे काश्त के विवाद में कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (बी) आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग को कब्जेराज लिया जाकर विवादित आराजी पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.09.2022 को गैर सायलान संख्या 01 लगायत 09 की ओर से श्री कारे सिंह एडवोकेट उपस्थित। गैर सायलान की ओर से दिनांक 01.11.2022 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 551/758 की बावत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की कोई अपील पेश नहीं की गई। उनवानी मुरारीलाल बनाम गोविन्द वगै0 में ही प्रति0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल

उपखण्ड अधिकारी डीग (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अजमेर में दिनांक 07.08.2012 अपील संख्या 6721/12 पेश की जा चुकी है और जो विचाराधीन है वर्णित करते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा.दी. दिनांक 14.03.2018 में राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन होने से सम्बन्धित प्रमाणित अपील मीमो व आर्डरशीट पेश कर प्रकरण को स्थगित फरमाये जाने हेतु पेश किया गया...। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/सायल का यह प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (बी) आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग को कब्जेराज लिया जाकर विवादित आराजी पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था की जावे।

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (बी) आर.टी.एक्ट, गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया जोकि खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः—</u> विवादित आराजी सायलान एवं सायलान के भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर, नेमचन्द को जरिये विरासतन उनके पिता बुद्वि से प्राप्त हुई थी और तभी से उक्त आराजी पर सायल व उसके भाईयों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। गैर सायलान ने जबरन बिना किसी अधिकार के लट्ठ व ताकत के बल पर निर्माण सामग्री डालकर खसरा नम्बर 551/758/0.31 की आराजी को अपने अधिकार क्षेत्र में नाजायज तरीके से लेकर जबरन कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः—</u> विवादित आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग पर कब्जे काश्त को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद बना हुआ है। विवादित आराजी सायलान एवं सायलान के भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर, नेमचन्द को जरिये विरासतन उनके पिता बुद्वि से प्राप्त हुई थी और तभी से उक्त आराजी पर सायल व उसके भाईयों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। गैर सायलान ने जबरन बिना किसी अधिकार के लट्ठ व ताकत के बल पर निर्माण सामग्री डालकर खसरा नम्बर 551/758/0.31 की आराजी को अपने अधिकार क्षेत्र में नाजायज तरीके से लेकर जबरन कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

<u>अपूर्तिनीय क्षतिः–</u> विवादित आराजी पर गैर सायलान मोहनप्यारी पत्नी गोविन्दा,राजू, साहव सिंह,कान्हा पुत्रगण गोविन्दा जाति जादों ठाकुर नि0 खेरिया पुरोहित तहसील डीग द्वारा एवं गोविन्दा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.04.2017 को जबरन कब्जा करने पर सायलान ने एक मुकदमा व उनवानी शीर्षक मुरारीलाल बनाम गोविन्द राजस्व वाद प्रकरण संख्या 92/17 दिनांक 09.05.2017 को पेश किया गया। हाल आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 स्थित ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग की आराजी प्रार्थी एवं उसके भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर व नेमीचन्द पुत्रगण बुद्वि के सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी सायलान एवं सायलान के भाई सोहनलाल, श्यामकिशोर, नेमचन्द को जरिये विरासतन उनके पिता बुद्वि से प्राप्त हुई थी और तभी से उक्त आराजी पर सायल व उसके भाईयों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। गैर सायलान ने जबरन बिना किसी अधिकार के लट्ठ व ताकत के बल पर निर्माण सामग्री डालकर खसरा नम्बर 551/758/0.31 की आराजी को अपने अधिकार क्षेत्र में नाजायज तरीके से लेकर जबरन कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वकील उभय पक्षकारान की बहस अनुसार प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान व गैर सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड, कानूनी नजीरों के अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आये दिन झगडा होने व कभी भी जन हानि होने का अंदेशा प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 (2) आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(बी) आर.टी.एक्ट, प्रस्तुत साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 551/758/0.31 वाके ग्राम खेरिया पुरोहित तहसील डीग को कब्जेराज लिया जाकर विवादित आराजी पर तहसीलदार डीग को रिसीवर नियुक्त किया जाकर काश्त की व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी डीग जिला डीग (राज.)

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner